

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु
रैम्प - रिविया

क्रमांक : प्र.गा.स./2021/ 199

दिनांक : 23-11-2021

निर्णय:-

प्रार्थी श्री.....बालाराम.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....हीरालाल.....
ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम.....महरावणसर.....पटवार मण्डल.....खण्डवा प. पीवीसर
तहसील चूरु जिला चूरु की चालू जमाबन्दी सम्वत्.....2071-2074.....के खाता संख्या.....16.....में
खातेदार/गैर-खातेदार का नाम/जाति.....बलुराम.....अंकित है जो ^{सही}सम्मानजनक नहीं है।
जिसे ^{सही}सम्मानजनक रूप से.....बालाराम.....अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन
पत्र की जांच पटवारी हल्का.....खण्डवा प. पीवीसर.....से करवाने पर पटवारी ने.....बलुराम.....के
बजाय.....बालाराम.....करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरु ने भी उक्त खाते में.....बलुराम.....
के बजाय.....बालाराम.....करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम
369 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम.....महरावणसर.....
के खाता संख्या.....16.....में खातेदार/गैर-खातेदार का नाम/जाति.....बलुराम.....
के स्थान पर सम्मानजनक रूप से.....बालाराम.....दर्ज करने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार,
चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।




23/11/21
उपखण्ड अधिकारी
चूरु
उपखण्ड अधिकारी,
(Land Record Officer)
चूरु



जा फ.
965
23-11-21